Rcms-2020/00090

लय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

3 / 2020

तारीखरजू:- 10.7.2020

उनवानः- मुनेश बनाम मन वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

20 प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए ग्राम कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली की विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1379/0.13, 1407/0.42, 1609/0.42, 1699/0.34, 2528/0.66, 2544/1.10, 58/0.30, 65/0.25 कुल किता 8 कुल रकवा 3.61 है0 में और सायल व सायल मौके की यथारिथति बनाये रखने हेतु दिनांक 22.7.2020 तक पाबन्द किया जाता है।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 22.07.2020 को पेश हो।

2336-41
10/7/2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:42:56 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

7.20 प्रार्थी वकील उप0। प्रार्थी वकील ने नोटिस जारी नहीं कराये है हिदायत की जाती है कि आज ही रजि० AD नोटिस जारी करायें। वास्ते तामील दिनांक 19-8-20 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टो[ड़ा]

दिनांक	फर्द अहकाम
23/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप०। वास्ते तलबी कायम मुकाम द०प्र० प्रार्थना पत्र पेश करने दिनांक 12.3.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
12/3/24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान व उनके वकील अनुपस्थित, न्यायालय द्वारा बार-बार आवाज दिलवाये जाने के उपरान्त भी कोई भी उपस्थित नहीं होने से ~~इनके~~ सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ~~खारीज~~ अदम हाजरी अदम पैरवी खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:42:56 IST
Reason: SelfAttested